नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 178 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 04–05–2018

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 2.30बजे ।

उपस्थिति :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री ध्रुब कुमार त्रिपाठी , मान0सदस्य विधान परिषद	– सदस्य
3– श्री बाबा गोरखनाथ , मान0सदस्य विधान सभा	– सदस्य
4– डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी , मान0सदस्य विधान सभा	– सदस्य
5– श्री राधेश्याम अनुसचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0शासन	– सदस्य
6– डा0कृपा शंकर पाण्डेय,अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन फैजाबाद मण्डल फैजाबाद नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
7– डा0राजीव पाण्डेय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ प्रतिनिधि प्रमुख सचिव प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन	– सदस्य
8– डा0ए0पी0श्रीवास्तव संयुक्त निदेशक कृषि प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0	– सदस्य
9– डा0 आर0के0 सक्सेना ,अपर निदेशक पशुपालन प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0	– सदस्य
10–डा0ए0डी0पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0	– सदस्य
11– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक	– सदस्य
12– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक ,	– सदस्य
13– श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति	– सदस्या
14– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में नवागत माननीय कुलपति महोदय प्रो0 जोत सिंह सन्धू का प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया तथा परिचय हुआ । माननीय कुलपति महोदय /अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद ने सभी माननीय सदस्यों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बैठक में प्रथम बार प्रतिभाग हेतु उपस्थित डा0 ए0 डी0 पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0 का कुलपति जी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया एवं माननीय सदस्यों का परिचय कराया गया। श्री छेदी सिंह ,माननीय सदस्य द्वारा प्रबन्ध परिषद के सभी सदस्यों की तरफ से नवागत कुलपति महोदय का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुये विश्वास व्यक्त किया गया कि माननीय कुलपति महोदय के कुशल नेतृत्व में पूर्वान्चल के किसानों को वांछित सहयोग एवं निर्देश/परामर्श मिलता रहेगा , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 178:1 **प्रबन्ध परिषद की गत 174वीं बैठक दिनांक 15–06–2017, 175वीं बैठक दिनांक 20–06–2017 , 176वीं बैठक दिनांक 09–08–2017 एवं 177वीं बैठक दिनांक 08–09–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

प्रबन्ध परिषद की गत गत 174वीं बैठक दिनांक 15–06–2017, 175वीं बैठक दिनांक 20–06–2017 , 176वीं बैठक दिनांक 09–08–2017 एवं 177वीं बैठक दिनांक 08–09–2017 की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0178: 2 **प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।**

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुये कुछ बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0175:174: 3 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 2016–17 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2017–18 अनुमानित आय व्यय पर विचार एवं निर्णय ।

उर्पयुक्त प्रस्ताव के द्वितीय बिन्दु पर पुर्नविचार करते हुए वित्त उपसमिति द्वारा यह प्रस्तावित किया गया विश्वविद्यालय में विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के विज्ञापन व्यस्थापको से शासकीय दरों पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाने एवं यदि व्यवसायिक दरों पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाते है तो उस पर डिस्काउन्ट प्राप्त करनें का प्रयास किया जाय।

उर्पयुक्त के कम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गत वर्ष में शासन/वित्त पोषित संस्थाओं से प्राप्त अनुदान यदि किन्ही कारणोवश लैप्स(Lapse) हो गया , के लिए किसका उत्तरदायित्व है , के संबंध में पूर्ण विवरण सहित सूचना प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय । श्री छेदी सिंह माननीय सदस्य द्वारा परामर्श दिया गया कि शासन से विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुदान का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

प्रस्ताव सं0175: 174: 4 विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को दिनांक 26–02–2003 के बाद अथवा विनियमितीकरण की तिथि जो भी बाद में घटित हो , से सेवानिवृत्ति लाभ अनुमन्य कराये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से शासनादेशानुसार अपेक्षित कार्यवाही किये जाने के उपरान्त सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0175:174: 5 वेतन समिति उ0प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग –3 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सचिव, वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2 , उ0 प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं0–66/2016 /वे.आ.–2– 1443 / दस–04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 इस विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिको के वेतन पुनरीक्षण हेतु लागू किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासनादेशानुसार सं0–66/2016/वे.आ.–2–1443/दस –04 (एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किया जाय ।

प्रस्ताव सं0175:174: 7 रिट याचिका संख्या 1343(एस.बी0)/2007 व रिट याचिका संख्या 1117 (एस. बी0)/2007 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–09–2012 एवं प्रमुख सचिव,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, के पत्र /शासनादेश स0 222 / 67–कृ.शि.अ.–16–30(45)/07दिनांक 19 अप्रैल , 2016 के अनुपालन में प्रबन्ध परिषद की बैठक संख्या 172:3 लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05–05–2017 एवं प्रमुख सचिव,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, के पत्र /शासनादेश स0 222/67–कृ.शि.अ.–16–30 (45)/07 दिनांक 19 अप्रैल ,2016 के क्रम में याचीगणों को दिनांक 13–3–1992 से यू0जी0सी0वेतनमान दिये जाने का पुनः निर्णय लेते हुय अपेक्षा की गयी कि एरियर के भुगतान हेतु शासन से अतिरिक्त अनुदान की मॉग हेतु (प्रत्येक कार्मिक का अलग–2 आगणन करके) प्रस्ताव प्रेषित किया जाए एवं शासन से वांछित अनुदान की प्राप्ति पर ही एरियर का भुगतान किया जाय ।

प्रस्ताव सं0175:174: 9 मान0 उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 1728(एस.बी0)/ 1999 ,याचिका संख्या 1726(एस.बी0)/ 1999 एवं याचिका संख्या 88(एस.बी0)/ 2000 के आधार पर योजित अवमानना वाद सं0 1294(सी)/2016 तथा 1295(सी)/2016 में पारित आदेश दिनांक 03–11–2016 एवं विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के पत्र/शासनादेश स0 425/67–कृ.शि.अ. –16–30(45)/07 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार याचीगण को वेतनमान रू0 2200–4000 (पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 15600 –39100 ए0जी0पी0 रू0 6000/–) प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश 222/67–कृ.शि.अ.–16–30(45)/07 दिनांक 19 अप्रैल 2016 के अनुसार याचीगणों को दिनांक 15 सितम्बर 2016 से यू0जी0सी0वेतनमान दिये जाने का निर्णय लेते हुये अपेक्षा की गयी कि एरियर के भुगतान हेतु शासन से अतिरिक्त

अनुदान की मॉग हेतु (प्रत्येक कार्मिक का अलग–2 आगणन करके) प्रस्ताव प्रेषित किया जाए एवं शासन से वांछित अनुदान की प्राप्ति पर ही एरियर का भुगतान किया जाय ।

प्रस्ताव सं0175:174:16 कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के पत्र संख्या 2344/ 67– कृ.शि.अ.–16–1500 (159) /07 दिनांक 17 मार्च 2017 में संदर्भित अधिसूचना संख्या 12/2016 /524/36–03– 2016–01(अधि0)/2005 दिनांक 15 जून 2016 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में की गयी वृद्वि को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद कृत कार्यवाही से अवगत हुयी तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रम अनुभाग द्वारा दैनिक पारिश्रमिक भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में समय–2 पर पुनरीक्षित होने वाली दरों के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

प्रबन्ध परिषद की 178वीं बैठक दिनांक 04–05–2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रस्ताव सं0178:3 **विश्वविद्यालय का वर्ष 2018–19 का आय व्ययक विधिवत पारित किये जाने तक वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह (अप्रैल ,मई एवं जून 2018) के व्यय हेतु कुलपति महोदय को प्राधिकृत किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय का वर्ष 2018–19 का आय व्ययक विधिवत पारित किये जाने तक वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माहो (अप्रैल ,मई एवं जून 2018) तक वित्तीय वर्ष 2017–18 के व्यय की धनराशि के 1/12 की सीमान्तर्गत प्रतिमाह व्यय किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव सं0178:4 **विश्वविद्यालय मुख्य परिसर कें विद्युत बिलों में कमी लाने के उद्देश्य से 750 किलोवाट क्षमता का Grid Connected Rooftop Solar System स्थापित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के विद्युत बिलों में कमी लाने के उददेश्य से 750 किलोवाट क्षमता का Grid Connected Rooftop Solar System हेतु रेस्को (RESCO) माडल विश्वविद्यालय में स्थापित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। श्री छेदी सिंह ,माननीय सदस्य ने परामर्श दिया कि विश्वविद्यालय के बाहय केन्द्रों पर भी विद्युत व्यय में अधिक भुगतान किया जा रहा हैं , के दृष्टिगत मुख्यालय के बाहर स्थित केन्द्रों पर भी सोलर सिस्टम लगवाने की कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति के अनुसार विश्वविद्यालय में 750 किलोवाट क्षमता का Grid Connected Rooftop Solar System हेतु रेस्को (RESCO) माडल विश्वविद्यालय में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:5

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला एवं पंजाब नेशनल बैंक, कुमारगंज को परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला को परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन के सबंध में विचार विमर्श किया गया। वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला को विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन की संस्तुति प्रदान की गयी। यह भी प्रस्तावित किया गया कि प्रथमतः भवन का आवंटन पॉच वर्ष के लिए किया जाय तथा विश्वविद्यालय एवं बैंक की सहमति पर आगामी पॉच वर्षो के लिए भवन आवंटित किया जायेगा ।

उर्पयुक्त क्रम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला को विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के भवन आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव सं0178:6

डा0 तेजेन्द्र कुमार ,सह प्राध्यापक , फसल अनुसंधान केन्द्र घाघराघाट , बहराइच द्वारा दिनांक 13.11.2017 से 06.01.2018 तक के उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने एवं दिनांक 11–12 नवम्बर , 2017 के प्रीफिक्स एवं 07.01.2018 के सार्वजनिक अवकाश को सफिक्स किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कुलपति महोदय द्वारा समिति का गठन करके प्रकरण की वीक्षा कराने के उपरान्त तथा पूर्ण विवरण /औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि भविष्य में कोई कार्मिक बिना पूर्व अनुमति के विदेश भ्रमण पर जाता है तो उसे सेवा से पदच्युत किया जाय ।

प्रस्ताव सं0178:7

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित Capacity Building and Technology Demonstration on Processing of local Fruits and Vegetables for Alternate Livelihood of Tharu Tribe women परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

उर्पयुकत क्रम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से उक्त परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:8

पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 F.No. PPV& FRA/REG/ Maize, Pulse & Veg./2016-17 दिनांक 04–08–2017 द्वारा स्वीकृत परियोजना To Collection Characterization, Evaluation Maintenance and Registratin of Minor Seed Spices grown in Farmer's Field परियोजना को विश्वविद्यालय की अग्रिम प्रबन्ध परिषद की बैठक में संचालन अनुमति प्रदान करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

उर्पयुकत क्रम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से उक्त परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव सं0178:9

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत उच्च एकेडमिक ग्रेड वेतन (ए0 जी0 पी0) स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप को लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत उच्च एकेडमिक ग्रेड वेतन (ए0 जी0 पी0) स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुकत क्रम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्टसम्मति से विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत उच्च एकेडमिक ग्रेड वेतन (ए0 जी0 पी0) स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:10

विश्वविद्यालय में सृजित निदेशक प्रसार एवं निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र के पद पर नियमित चयन हेतु ,शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने के संबंध में प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में सृजित निदेशक प्रसार एवं निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र के पद पर नियमित चयन हेतु प्रस्तावित शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के साथ पदों को विज्ञापित करने के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:11 **कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 167(रिट)/67 – कृशिअ –17–400(79) /86 दिनांक 24 अप्रैल 2017 द्वारा भूमि अध्याप्ति संबंधित आदेश को निरसित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में शासनादेश संख्या 167(रिट)/67 – कृशिअ –17–400(79) /86 दिनांक 24 अप्रैल 2017 द्वारा भूमि अध्याप्ति संबंधित आदेश को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया

प्रस्ताव सं0178:12 **विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्मिकों को विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिकों की भॉति सभी सेवा लाभ यथा वेतन भत्ते, ए0सी0पी0, वेतन पुनरीक्षण व अन्य सुबिधाये प्रदान करने हेतु प्रबन्ध परिषद के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ ।**

वित्त उपसमिति द्वारा प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार विमर्श करने के उपरान्त संस्तुति प्रदान की गयी कि प्रस्ताव के संबधं में पुनः आई0सी0ए0आर0 को पत्र भेजकर प्रस्ताव पर उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाय तथा राज्य सरकार से संबंधित कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभ के संबंध में निर्देश प्राप्त किये जाए।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्मिकों को विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिकों की भॉति वेतन भत्ते, ए0सी0पी0, वेतन पुनरीक्षण व अन्य सुबिधायें प्रदान की जाए। आई0सी0ए0आर0 से अतिशीघ्र संबंधित कार्मिकों को एन0पी0एस0, कैरियर एडवान्समेन्ट तथा सेवानिवृत्तिक लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त किये जाए तथा राज्य सरकार से भी संदर्भित कार्मिकों को सेवानिवृत्तिक लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त किये जाए ।

प्रस्ताव सं0178:13 **कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के अन्तर्गत जनपद आजमगढ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) के लिए शासन के पत्र संख्या 2/2015 /2136 /67 – कृशिअ –14–1500(124) /12 दिनांक 12 जनवरी 2015 द्वारा सृजित पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारण के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जनपद आजमगढ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) के लिए शासन के पत्र संख्या 2/2015 /2136 /67 – कृशिअ –14–1500(124) /12 दिनांक 12 जनवरी 2015 द्वारा सृजित पदों के भरे जाने हेतु प्रस्तावित शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के साथ पदो को विज्ञापित करने के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:14 **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद अमेठी, ,बहराइच एवं गोण्डा में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित जनपद अमेठी, , बहराइच एवं गोण्डा में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की संस्तुति प्रदान करते हुये प्रस्तावित किया गया कि पदो के सृजन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमति प्राप्त कर ली जाए तथा एन0पी0एस0 के संबधं में भी आई0सी0ए0आर0 को पत्र प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

उर्पयुकत कम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद अमेठी, , बहराइच एवं गोण्डा में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:15 **डा0के0के0 वर्मा, सहायक प्राध्यापक (मृदा विज्ञान) का अर्न्तराष्ट्रीय कान्फ्रेन्स काठमाण्डू, नेपाल में प्रतिभाग किये गये यात्रा कार्यकम के कार्योत्तर स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से डा0के0के0 वर्मा, सहायक प्राध्यापक (मृदा विज्ञान) का अर्न्तराष्ट्रीय कान्फ्रेन्स काठमाण्डू, नेपाल में प्रतिभाग किये गये यात्रा कार्यकम के कार्योत्तर स्वीकृति एवं पंजीकरण शुल्क के भुगतान किये जाने जाने हेंतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। वित्त उप समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया कि डा0 वर्मा से अर्न्तराष्ट्रीय कान्फ्रेन्स में भाग लेने संबंधी समस्त प्रपत्र अवलोकित कर लिया जाय ।

उर्पयुकत कम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से डा0 के0 के0 वर्मा, सहायक प्राध्यापक (मृदा विज्ञान) का अर्न्तराष्ट्रीय कान्फ्रेन्स काठमाण्डू, नेपाल में प्रतिभाग किये गये यात्रा कार्यकम के कार्योत्तर स्वीकृति एवं पंजीकरण शुल्क के भुगतान किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:16 **विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों का अन्य परियोजनाओं तथा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद के निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी ।

उर्पयुक्त के क्रम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण विवरण एवं औचित्य सहित प्रस्ताव मानवीय आधार पर पुर्नविचार हेतु वित्त उपसमिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:17

विश्वविद्यालय के सूत्रकृमि विज्ञान विभाग में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पदनाम से स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सूत्रकृमि विज्ञान विभाग में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पदनाम से स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुकत कम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सूत्रकृमि विज्ञान विभाग में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पदनाम से स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:18

विश्वविद्यालय के उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक (पी0एच0टी0) के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के पदनाम से स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक (पी0एच0टी0) के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के पदनाम से स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुकत कम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक (पी0एच0टी0) के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के पदनाम से स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:19

विश्वविद्यालय कर्मचारियों /अधिकारियों को आवासीय भवन आवंटित किये जाने संबंधी नियमों पर विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय कर्मचारियों /अधिकारियों को आवासीय भवन आवंटित किये जाने हेतु बिन्दु क एवं ख पर उल्लिखित प्रस्ताव विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के साथ आवास आवंटन नियमावली 2014 विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया । प्रस्ताव में उल्लिखित बिन्दु क एवं ख में भविष्य में परिवर्तन की स्थिति में कुलपति महोदय को निर्णयार्थ अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव सं0178:20 **विश्वविद्यालय में सृजित कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के रिक्त पद पर नियमित चयन हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में सृजित कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के रिक्त पद जर नियमित चयन हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के साथ पद विज्ञापित करने के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:21 **राज्य सरकार आयोजनेत्तर की मद में क्रमशः रिवाल्विंग फण्ड , बाह्य संस्थाओं एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वित्त पोषित परियाजनाओं के आवर्तक मद से संस्थागत शुल्क (Institutional Charges) के रूप में 10 प्रतिशत की धनराशि विश्वविद्यालय प्राप्तियों मे समाहित किये जाने के संबधं में विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से राज्य सरकार आयोजनेत्तर की मद में क्रमशः रिवाल्विंग फण्ड , बाह्य संस्थाओं एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वित्त पोषित परियोजनाओं के आवर्तक मद से संस्थागत शुल्क (Institutional Charges) के रूप में 10 प्रतिशत की धनराशि विश्वविद्यालय प्राप्तियों मे समाहित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पत्र प्रेषित कर उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाय ।

उर्पयुकत क्रम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से राज्य सरकार आयोजनेत्तर की मद नें क्रमशः रिवाल्विंग फण्ड , बाह्य संस्थाओं एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वित्त पोषित परियोजनाओं के आवर्तक मद से संस्थागत शुल्क (Institutional Charges) के रूप में 10 प्रतिशत की धनराशि विश्वविद्यालय प्राप्तियों मे समाहित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिष्द को पत्र प्रेषित कर उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाए ।

प्रस्ताव सं0178:22 **विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय में सृंजित पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद पर नियमित चयन हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय में सृंजित पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद पर नियमित चयन हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के साथ पद विज्ञापित करने के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0178:23 **पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मे शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 29 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मे शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 29 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के साथ पदों को विज्ञापित करने के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया। श्री शिवजीत यादव ,माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद द्वारा परामर्श दिया गया कि पदों पर रिजरवेशन पालिसी लागू की जानी चाहिए।

उर्पयुक्त के संबध में प्रबन्ध परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन की वर्तमान आरक्षण नियमावली के अनुसार विज्ञापन की कार्यवाही की जाय ।

अन्य निर्णयः–

1– डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के मेन्टीनेन्स हेतु परामर्श दिया गया तथा Asstt.Professor , Assoc.Professor तथा Professor को हिन्दी में कमशः सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के पदनाम से सम्बोधित किये जाने हेतु भी परामर्श दिया गया । कुलपति महोदय/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा शैक्षणिक संकाय के पदनाम यू0जी0सी0/आई0सी0ए0आर0 के अनुसार किये जाने हेतु निर्णय लिया गया ।

2– माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सी0 ए0 जी0 की लम्बित अनुपालन आख्या तैयार कराकर लोक लेखा समिति की बैठक में प्रस्तुत की गयी तथा अद्यतन वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायी जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकार आयोजनेत्तर वेतन भत्तो की मद में लगभग 49.00 करोड की ऋणात्मक स्थिति है जिसकी प्रतिपूर्ति किया जाना आवश्यक है । विश्वविद्यालय में आडिटोरियम, एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट, नया गेस्ट हाउस आदि 4 भवन निर्मित है जिसका टेकओवर अभी तक नही किया जा सका है। विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरे जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा 05 परियोजनायें जो बन्द हो गयी थी उनमें कार्यरत वैज्ञानिकों/कार्मिकों का समायोजन कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा एक्रिडेशन का कार्य कराया जाना है। कुल 580 वादों में से 250 वाद विगत तीन वर्षो में योजित हुये जिसमें से 89 अवमानना वाद है। उक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद की सहमति की दशा में यथास्थिति से माननीय कुलाधिपति महोदय को अवगत कराया जाना श्रेयस्कर होगा।

प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय के उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये आश्वस्त किया गया कि प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्य आपके प्रस्ताव से सहमत है। श्री छेदी सिंह , माननीय सदस्य द्वारा परामर्श दिया गया कि प्रबन्ध परिषद के दो माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से

समय लेकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय तथा विश्वविद्यालय के आर्थिक संकट के निराकरण हेतु प्रयास किया जाए , अतएव जिस पर दोनो माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(जीत सिंह सन्धू) 11/5/18
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–178वी बैठक/लेखा/2018/187 दिनांक 11 –5–2018

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह) 11/5/18
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 179 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 09–07–2018

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 2.30बजे ।

उपस्थिति :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री ध्रुब कुमार त्रिपाठी , मान0सदस्य विधान परिषद – सदस्य

3– श्री बाबा गोरखनाथ , मान0सदस्य विधान सभा – सदस्य

4– डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी , मान0सदस्य विधान सभा – सदस्य

5– श्री राधेश्याम अनुसचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0शासन – सदस्य

6– श्री नीरज श्रीवास्तव अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन फैजाबाद मण्डल फैजाबाद नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

7– डा0राम शव जैसवारा, अपर कृषि निदेशक प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0 – सदस्य

8– डा0 कमलेश सिंह ,संयुक्त निदेशक पशुपालन प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0 – सदस्य

9–डा0ए0डी0पाठक, निदेशक .आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0 – सदस्य

10– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक – सदस्य

11– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक , – सदस्य

12– श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति – सदस्या

13– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 179:1 **प्रबन्ध परिषद की गत 178वीं बैठक दिनांक 04-05-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

प्रबन्ध परिषद की गत 178वीं बैठक दिनांक 04-05-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0179: 2 **प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।**

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए एवं कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुये कुछ बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव सं0175:174: 7 रिट याचिका संख्या 1343(एस.बी0)/2007 व रिट याचिका संख्या 1117 (एस. बी0)/2007 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ,खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-09-2012 एवं प्रमुख सचिव,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, के पत्र /शासनादेश स0 222 / 67-कृ.शि.अ.-16-30(45)/07दिनांक 19 अप्रैल , 2016 के अनुपालन में प्रबन्ध परिषद की बैठक संख्या 172:3 लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार ।

प्रशासनिक आदेश स0 एनडीयूएटी-07/स्था/लेखा/2018/814 दिनांक 03 जुलाई,2018 द्वारा संबंधित याचीगणो को दिनांक 13-3-1992 से यू0जी0सी0 वेतनमान दिये जाने संबंधी आदेश से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुये एवं सहमति व्यक्त की गयी ।

प्रस्ताव सं0175:174: 9 मान0 उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 1728(एस.बी0)/ 1999 ,याचिका संख्या 1726(एस.बी0)/ 1999 एवं याचिका संख्या 88(एस.बी0)/ 2000 के आधार पर योजित अवमानना वाद सं0 1294(सी)/2016 तथा 1295(सी)/2016 में पारित आदेश दिनांक 03-11-2016 एवं विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के पत्र/शासनादेश स0 425/67-कृ.शि.अ. - 16-30(45)/07 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार याचीगण को वेतनमान रू0 2200-4000 (पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 15600 -39100 ए0जी0पी0 रू0 6000/-) प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रशासनिक आदेश स0 एनडीयूएटी-07/स्था/लेखा/2018/814 दिनांक 03 जुलाई,2018 के अवलोकनोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त याचिका से आच्छादित 07 याचीगणों को भी दिनांक 13-03-1992 से यू0जी0सी0 वेतनमान दिये जाने हेतु उक्त आदेश दिनांक 03 जुलाई 2018 के कम में पृथक रूप से प्रशासनिक आदेश निर्गत किया जाय ।

प्रबन्ध परिषद की 179वीं बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव एवं निर्णय ।

प्रस्ताव सं0179: 3 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 2017-18 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018-19 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017-18 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018-19 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा परिशिष्ट-क के अनुसार आय व्ययक के अनुमोदनार्थ सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी। वित्त उपसमिति द्वारा सुझाव दिया

गया कि विश्वविद्यालय का आय व्ययक भविष्य में शासन की भॉति रू0 लाख में तैयार किया जाय तथा राज्य सरकार आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत मदों को समाप्त करते हुए **राज्य सरकार 'क'** एवं **राज्य सरकार 'ख'** लिखा जाय ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2017–18 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018–19 का अनुमानित आय व्ययक **परिशिष्ट–क** के अनुसार अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 4 **विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने के संबधं में विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ,साथ ही यह सुझाव दिया गया कि यू0पी0डेस्को लखनऊ को वांछित भुगतान एवं कार्यादेश वित्तीय नियमानुसार किया जाय।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 5 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना ''Strengthening of Krishi Vigyan Kendra को इस विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एव निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 6 **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद सुल्तानपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद सुल्तानपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की संस्तुति प्रदान की गयी तथा यह सुझाव दिया गया कि पदो पर नियुक्ति के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया जाय ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद सुल्तानपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने एवं सृजित पदों पर नियमित नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "**Strengthening of Veterinary Clinical Complex**" को इस विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव सं0179: 8 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "**Frozen semen Bank for Indigenous Livestock**" को इस विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 9 कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ) कृषि भवन , लखनऊ के शासनादेश संख्या 1196/12–3–2016–100(5)/2011 दिनांक 22–9–2016 द्वारा वित्त पोषित परियोजना ^^ **Establishment of molecular lab for identification of physio- molecular traits in the way of submergence and drought tolerance rice varieties for rainfed lowland areas of eastern U.P.** "को वित्तीय वर्ष 2018–19 व परियोजना समाप्ति तक संचालित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ) द्वारा स्वीकृत परियोजना को परियोजना की समाप्ति तक संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 10

विश्वविद्यालय में जियो रिलायंस द्वारा वाई –फाई सेवा स्थापित करने लिए लिए प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में जियों रिलायंस द्वारा वाई–फाई सेवा स्थापित करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में जियों रिलायंस द्वारा वाई–फाई सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 11

विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पद पर प्राध्यापक/ सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करनें के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पदों प्राध्यापक/ सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी । प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा अनुसंधान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा विश्वविद्यालय के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पद प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 12

विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 13

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 12 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्याल्य के पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 12 पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 14 **महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश;Child Care Leave) की अनुमन्यता हेतु प्रमुख सचिव ,वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 जी–2–2017/दस– 2008–216/79 दिनांक 8'–12–2008 एवं शासनादेश सं0 जी–2–176/दस–2011– 216/79 दिनांक 11–04–2011 विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से अंगीकार किये जाने पर विचार एव निर्णय ।**

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से महिला सरकारी सेवको को बाल्य देखभाल अवकाश; Child Care Leave) की अनुमन्यता हेतु प्रमुख सचिव ,वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 जी–2–2017/दस– 2008–216/79 दिनांक 8'–12–2008 एवं शासनादेश सं0 जी–2–176/दस–2011–216/79 दिनांक 11–04–2011 विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से अंगीकार किये जाने का निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ लिया गया कि महिला सरकारी सेवकों द्वारा बाल्य देखभाल अवकाश एक वर्ष में – तीन बार तथा एक साथ –दो माह ही लिया जायेगा और एक वर्ष में अधिकतम चार माह का अवकाश ही मान्य होगा। । महिला कर्मचारी अपने अतिआवश्यक कार्य को दृष्टिगत रखते हुए अवकाश लेगी ताकि कार्यालय कार्य भी प्रभावित न हो ।

प्रस्ताव सं0179: 15 **विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया । प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षा की गयी कि अधिष्ठाता के पदों को भरे जाने हेतु शासन की अनुमति प्राप्त की जाए ।

प्रस्ताव सं0179: 16

डा0 तेजेन्द्र कुमार ,सहायक प्राध्यापक ,फसल अनुसंधान केन्द्र धाघराघाट बहराइच को दिनांक 13–11–2017 से दिनांक 06–101–2018 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रबन्ध परिषद की बैठक में पुर्नविचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से डा0 तेजेन्द्र कुमार ,सहायक प्राध्यापक ,फसल अनुसंधान केन्द्र धाघराघाट बहराइच को दिनांक 13–11–2017 से दिनांक 06–101–2018 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा निर्देशित किया गया कि उन्हें यह चेतावनी दी जाए कि वे भविष्य में बिना पूर्व स्वीकृति के उपार्जित अवकाश का उपभोग न्ही करेगें ।

प्रस्ताव सं0179: 17

कृषि महाविद्यालय परिसर आजमगढ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कृषि महाविद्यालय आजमगढ हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने की मॉग किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से कृषि महाविद्यालय आजमगढ हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 18

विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा करनें तथा जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि ब्याज सहित शासन से अतिरिक्त अनुदान के रूप में मॉग किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्नति से वित्त उपसमिति की संस्तुति पर सहमति व्यक्त करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त जी0पी0एफ0 की धनराशि की मॉग ब्याज सहित शासन से अतिरिक्त अनुदान के रूप में की जाए ।

प्रस्ताव सं0179: 19

डा0 देश दीपक सिंह, एस0एम0एस0 (पशु विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र मसोधा एवं डा0 सन्दीप सिंह कश्यप , एस0 एम0 एस0 (पशु विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र सन्तकबीरनगर के अवरूद्व वेतन भुगतान के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डा0 देश दीपक सिंह, एस0एम0एस0 (पशु विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र मसोधा एवं डा0 सन्दीप सिंह कश्यप , एस0 एम0 एस0 (पशु विज्ञान) कृषि

विज्ञान केन्द्र सन्तकबीरनगर के अवरूद्व वेतन भुगतान हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड –II to IV एवं अध्ययन अवकाश नियमों के दृष्टिगत वेतन भुगतान की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति पर सहमति व्यक्त करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय नियमों के अनुसार उक्त अवरूद्व वेतन के भुगतान हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 20

विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ की समाप्ति एवं संचालित परियोजनाओ मे पदों के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समयान्तर्गत न हो पाने की स्थिति में संदर्भित अवधि के लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी कि उक्त भुगतान किये जाने हेतु शासन के वित्त विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।

उर्पयुक्त के कम में प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति पर सहमति व्यक्त की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि संबंधित अधिकारी /कर्मचारी द्वारा सदंर्भित अवधि में कार्य किया गया है तथा उपस्थिति प्रमाणित है तो उनके लम्बित वेतन का भुगतान किया जाय तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया जाए ।

प्रस्ताव सं0179: 21

श्री उदय प्रताप सिंह, संगणक, निदेशालय निर्माण एवं संयत्र सम्बद्व फसल अनुसंधान केन्द्र मसोधा, फैजाबाद का बाहय सेवा (प्रतिनियुक्ति)पद परियोजना अधिकारी ,राज्य नगरीय विकास अभिकरण ,उत्तर प्रदेश की धरण धारण अवधि छः माह दिनांक 3–7–2017 को समाप्ति के उपरान्त योगदान न करने , अनधिकृत रूप से बाहय सेवा के पद पर बने रहने, प्रशासनिक निर्देशों की अवमानना , विश्वविद्यालय के धारित पद से त्यागपत्र न देने की विद्यमानता में सेवा समाप्ति किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा श्री उदय प्रताप सिंह, संगणक, निदेशालय निर्माण एवं संयत्र सम्बद्व फसल अनुसंधान केन्द्र मसोधा, फैजाबाद का बाह्य सेवा (प्रतिनियुक्ति)पद परियोजना अधिकारी ,राज्य नगरीय विकास अभिकरण ,उत्तर प्रदेश की धरण धारण के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री उदय प्रताप सिंह , संगणक को 30 दिन का समय देते हुए अन्तिम नोटिस निर्गत की जाय तथा इसके उपरान्त भी यदि श्री सिंह द्वारा विश्वविद्यालय के धारित पद पर योगदान नही किया जाता है तो नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रबन्ध परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक/कर्मचारी जो छः माह से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति

पर है उन्हें भी विश्वविद्यालय में धारित पद पर वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाय तथा इसकी सूचना प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए ।

प्रस्ताव सं0179: 22 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी महाविद्यालय के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक(एक पद) एव सह प्राध्यापक (एक पद) के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के मात्स्यिकी महाविद्यालय के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के मात्स्यिकी महाविद्यालय के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 23 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय , कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन संचालित महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में पंचम डीन कमेटी के अनुसंशा के आधार पर 20.00 हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में पंचम डीन कमेटी के अनुसंशा के आधार पर निर्धारित मानक के अनुसार शांसन को पत्र प्रेषित कर भूमि उपलब्ध कराये जाने की मॉग किये जाने सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में पंचम डीन कमेटी के अनुसंशा के आधार पर शासन को पत्र प्रेषित कर निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0179: 24 **मा0 उच्च न्यायालय , नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18–05–2018 के परिपालन में श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ लिपिक समायोजित पद– अध्यापक शारीरिक शिक्षा,अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग को दिनांक 1–8–2016 से 1–6–2018 तक के वेतन भुगतान दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय ,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18–05–2018 के परिपालन में श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ लिपिक समायोजित पद– अध्यापक शारीरिक शिक्षा,अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग का दिनांक 01–08–2016 से 01–06–2018 तक के वेतन भुगतान किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से मा0 उच्च न्यायालय , नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18–05–2018 के परिपालन में श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ लिपिक का संदर्भित अवधि के वेतन भुगतान किये जाने का निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ लिया गया कि भविष्य में इसका दृष्टान्त किसी अन्य प्रकरण पर लागू नही होगा ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

21/7/18
(जीत सिंह सन्धू)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।
पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–179वी बैठक/लेखा/2018/590 दिनांक 21–7–2018
प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

परिशिष्ट–क

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ,फैजाबाद

आय–व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष वर्ष 2017–18 एवं अनुमान वर्ष 2018–19 (धनराशि हजार रू0 में)

कमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2017–18	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2018–19
1	2	3	4
1	राज्य सरकार आयोजनेत्तर योजनाएं		
क	कृषि विश्वविद्यालय	471664	637731
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	92536	137018
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	16612	23224
घ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रो हेतु)	199	200
छ	आडिट फीस	5000	35407
ज	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	0	35200
झ	**विभिन्न महाविद्यालयो के प्रयोगशालाओं एवं छात्रावासो का अनुरक्षण/ सुदृढीकरण**	0	**45147**
	योग (राज्य सरकार आयोजनेत्तर)	**586011**	**913927**
2	**राज्य सरकार आयोजनागत योजनाएं**		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित परियोजनाओ हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओ हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	28331	34130
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	74948	101510
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	0	250
घ	पशु चिकित्सा एव पशुपालन महाविद्यालय में वी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच0 पाठ्यकम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यकम हेतु राज्यांश	0	250
च	कृषि महाविद्यालय आजमगढ की स्थापना हेतु	0	35357
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	98	7000
	विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	0	**20000**
	योग (राज्य सरकार आयोजनागत)	**103377**	**198497**
3	**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं**		

क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	202451	252456
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	9303	10000
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	0	1
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	0	750
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	0	1
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु (75 प्रतिशत धनराशि)	84994	102391
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	538	2000
	योग	**297286**	**367599**
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	9320	67
	योग	**9320**	**67**
5	चक्रीय निधि	31985	78444
	योग	**31985**	**78444**
	सम्पूर्ण योग (1 से 5 तक)	**1027979**	**1558534**

बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 08–08–2018

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : पूर्वान्ह 11.30बजे ।

उपस्थिति :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री ध्रुब कुमार त्रिपाठी , मान0सदस्य विधान परिषद – सदस्य

3– श्री बाबा गोरखनाथ , मान0सदस्य विधान सभा – सदस्य

4– डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी , मान0सदस्य विधान सभा – सदस्य

5– श्री बी0राम शास्त्री , विशेष सचिव प्रतिनिधि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0शासन – सदस्य

6– श्री मदन राजा मौर्या, संयुक्त निदेशक लखनऊ मण्डल नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

7– डा0राजेश कुमार , सहायक निदेशक नियोजन प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0 – सदस्य

8– डा0 चरण सिंह यादव ,निदेशक पशुपालन उ0प्र0 – सदस्य

9–डा0 सुधीर कुमार शुक्ला , परियोजना समन्वयक ,भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ,प्रतिनिधि निदेशक आई0आई0एस0आर0 – सदस्य

10– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक – सदस्य

11– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक , – सदस्य

12– श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति – सदस्या

13– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0180: 1 विश्वविद्यालय का 20वॉ दीक्षान्त समारोह माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से दिनांक 06–09–2018 को नियत है। उक्त दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप शिक्षा, शोध ,प्रसार प्रबन्धन एवं नीति नियोजन के क्षेत्र में अति विशिष्ठ एवं अविस्मरणीय योगदान देने वाली किसी विशिष्ठ व्यक्ति को डाक्टर आफ साइन्स की मानद उपाधि प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कृषि , शिक्षा , शोध, प्रसार ,प्रबन्धन एवं नीति नियोजन के क्षेत्र में अति विशिष्ठ एवं अविस्मरणीय योगदान के लिए डा0 प्रेम लाल गौतम,

विश्वविद्यालय , पन्तनगर को डाक्टर आफ साइन्स (Doctor of Science) की मानद उपाधि से विभूषित किये जाने विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0180: 2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली के शत प्रतिशत वित्त पोषण से स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर रिक्त पदों की शैक्षिक अर्हता विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली के शत प्रतिशत वित्त पोषण से स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर रिक्त **Senior Scientist & Head** तथा **Subject Matter Specialist** के पदों की शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने एवं तदनुसार नियुक्ति किये जाने विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव सं0180: 3 विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को परिचर, चौकीदार , कुक एवं स्वीपर के नाम से एकीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा उर्पयुक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लेते हुए कुलपति/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया कि प्रस्ताव की पुर्नवीक्षा करते हुए अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

9/8/18
(जीत सिंह सन्धू)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।
पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–180वी विशेष बैठक/लेखा/2018/673 दिनांक 09–8–2018

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज–फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 181 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 16–10–2018

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 2.30बजे ।

उपस्थिति :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री बी0 राम शास्त्री , विशेष सचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0शासन । –सदस्य

3– श्री नीरज श्रीवास्तव , अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन फैजाबाद मण्डल फैजाबाद नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

4– श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,उप सचिव उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

5– डा0ए0पी0श्रीवास्तव संयुक्त निदेशक कृषि प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0 – सदस्य

6– डा0 वी0के0 सक्सेना ,संयुक्त निदेशक पशुपालन प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0 – सदस्य

7–डा0ए0डी0पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0 – सदस्य

8– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक – सदस्य

9– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक , – सदस्य

10– श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति – सदस्या

11– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 181:1 **प्रबन्ध परिषद की गत 179वीं बैठक दिनांक 09–07–2018, 180वीं विशेष बैठक दिनांक 08–08–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

प्रबन्ध परिषद की गत 179वीं बैठक दिनांक 09–07–2018 एवं 180वीं विशेष बैठक दिनांक 08–08–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0181: 2 **प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।**

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए । कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुये कुछ बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये :–

<u>प्रबन्ध परिषद की 179वीं बैठक दिनांक 09–07–2018 एवं 180वीं विशेष बैठक दिनांक 08–08–2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव</u>

प्रस्ताव सं0179:4 **विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रबन्ध परिषद को पेरोल साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराने संबंधी कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया जिस पर प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यो द्वारा वित्त उपसमिति की संस्तुति के दृष्टिगत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्य को और गति प्रदान करते हुए दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिया जाय तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को सूचित कर यथाशीघ्र वांछित सूचना प्राप्त कर ली जाय ।

प्रस्ताव सं0179:8 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Frozen semen Bank for Indigenous Livestock "को इस विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एव निर्णय ।**

परियोजना की प्रगति से प्रबन्ध परिश्द के माननीय सदस्य अवगत हुये । डा0ए0पी0श्रीवास्तव , संयुक्त निदेशक कृषि ,प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0 ने अवगत कराया कि प्रायः यह देखा गया है कि परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय नही हो पाता है जिस पर प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि परियोजना की प्रगति की जानकारी समय–2 पर उपलब्ध करायी जाये तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार यथाशीघ्र किया जाए ।

प्रस्ताव सं0179:11 **विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पद पर प्राध्यापक/ सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करनें के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।**

प्रस्ताव सं0 179:12 **विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

प्रस्ताव सं0 179:13 **पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 12 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव सं0 179:15 विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं0 179:22 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी महाविद्यालय के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक(एक पद) एव सह प्राध्यापक (एक पद) के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

उक्त प्रस्तावों पर वित्त उपसमिति के सुझाव के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पदो को भरे जाने के संबधं में उ0प्र0शासन / आई0सी0ए0आर0 से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय तथा विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता के पदों पर नियुक्ति न करते हुए प्राध्यापकों में से अधिष्ठाता का चयन समिति बनाकर महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों में से किया जाय ।

प्रस्ताव सं0179:14 महिला सरकारी सेवको को बाल्य देखभाल अवकाश;(Child Care Leave) की अनुमन्यता हेतु प्रमुख सचिव ,वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 जी–2–2017/दस– 008–216/79 दिनांक 8–12–2008 एवं शासनादेश सं0 जी–2–176/दस– 2011– 216/79 दिनांक 11–04–2011 विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से अंगीकार किये जाने पर विचार एव निर्णय ।

उक्त प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी ।। प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि शासन के वित्त विभाग को प्रकरण सन्दर्भित किया गया है लेकिन अभी तक वित्त वेतन समिति का निर्णय प्राप्त नही हुआ है , निर्णय प्राप्त होने तक उक्त प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश स्थगित रखा जाय ।

प्रस्ताव सं0179:17 कृषि महाविद्यालय परिसर आजमगढ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कृषि महाविद्यालय परिसर आजमगढ हेतु निर्धारित मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु उ0प्र0शासन /माननीय कृषि मन्त्रीं जी को अवगत कराते हुए अनुरोध किया जाय । विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान ने अवगत कराया कि कृषि विज्ञान केन्द्र आजमगढ हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही यथाशीध्र पूर्ण कर ली जायेगी ।

उक्त से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुये एवं उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गयी ।

प्रस्ताव सं0179:18

विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति की संस्तुति से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी । प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि अतिरिक्त अनुदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुपूरक बजट में भी वित्त विभाग ने सहमति नही दी है । अतएव विश्वविद्यालय जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि यथाशीघ्र जमा किये जाने हेतु शासन से वेतनमद में अतिरिक्त अनुदान का मॉगपत्र प्रेषित करे जिससे कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि समयान्तर्गत कोषागार में जमा की जा सके ।

उक्त से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुये एवं उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव सं0 179:20

विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

उक्त प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही से अवगत होते हुए प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रकरण के संबधं में शासन को पत्र प्रेषित किया जाय तथा भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय कि परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिको का समायोजन समय से किया जाय ।

प्रस्ताव सं0 179:21

श्री उदय प्रताप सिंह, संगणक, निदेशालय निर्माण एवं संयत्र सम्बद्व फसल अनुसंधान केन्द्र मसोधा, फैजाबाद का बाह्य सेवा (प्रतिनियुक्ति)पद परियोजना अधिकारी ,राज्य नगरीय विकास अभिकरण ,उत्तर प्रदेश की धरण धारण अवधि छः माह दिनांक 3–7–2017 को समाप्ति के उपरान्त योगदान न करने , अनधिकृत रूप से बाहय सेवा के पद पर बने रहने, प्रशासनिक निर्देशों की अवमानना , विश्वविद्यालय के धारित पद से त्यागपत्र न देने की विद्यमानता में सेवा समाप्ति किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

उक्त प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही से अवगत होते हुए प्रबन्ध परिषद के कई माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष/कुलपति महोदय से एक बार पुनः उक्त प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया जिस पर अन्य सदस्यों द्वारा भी सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी को प्रकरण के निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया । साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि संबंधित कर्मी को उचित

दण्ड तथा सख्त चेतावनी देते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने की हिदायत दी जाय और इस प्रकरण को भविष्य में उदाहरण के तौर पर न माना जाए ।

प्रस्ताव सं0 179:23 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय ,कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन संचालित महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में पंचम डीन कमेटी के अनुसंशा के आधार पर 20.00 हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।**

उक्त प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी । माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर विश्वविद्यालय से काफी दूर है। पंचम डीन कमेटी के अनुसंशा के आधार पर महाविद्यालय को 20.00 हेक्टेयर भूमि नही मिल रही है जिससे एक्रीडेशन नही हो पा रहा है जिस पर विशेष सचिवं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने सुझाव दिया कि जनपद अम्बेडकरनगर में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मॉग की जाय तथा शासन को भी भूमि उपलब्ध कराने हेतु अलग से मॉगपत्र प्रेषित किया जाय ।

प्रस्ताव सं0180: 3 **विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को परिचर, चौकीदार , कुक एवं स्वीपर के नाम से एकीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।**

उक्त प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी । विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने सुझाव दिया कि पदों का पुनरीक्षण करते हुए उचित प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में पुनः विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय ।

<u>प्रबन्ध परिषद की 181 वी बैठक दिनांक 16–10–2018 के संबंध में विचार एवं निर्णय</u>

प्रस्ताव सं0181:3 **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद गाजीपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

उक्त प्रस्ताव पर वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान श्री राधेश्याम ,अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा अपना विचार प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया कि चूँकि कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदों का सृजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया जाता है अतएव वित्त उपसमिति के समक्ष पदो के सृजन के संबंध में प्रस्ताव न रखते हुए सूचनार्थ प्रेषित किया जाए व पदो पर नियुक्ति किये जाने के पूर्व शासन को सूचित करते हुए अनुमति प्राप्त कर ली जाए ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त उप समिति की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद गाजीपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करनें एवं सृजित पदों पर नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0 181:4 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत माननीय प्रबन्ध परिषद की 8वीं बैठक के मद सं0 16 द्वारा सृजित अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर नियमित नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

उक्त प्रस्ताव पर वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान श्री राधेश्याम ,अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पदो को भरे जाने के संबधं में पूर्व में ही शासन की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन है । अतएव पदो को भरे जाने के संबंध में जब तक शासन का कोई निर्णय न प्राप्त हो , प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत नही होता है ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0 181:5 विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला एवं पंजाब नेशनल बैंक ,कुमारगंज ,फैजाबाद को परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया वाले भवन के आवंटन के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक ,.कुमारगंज,फैजाबाद को परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन के सबंध में विचार विमर्श किया गया। वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पंजाब नेशनल बैंक , कुमारगंज ,फैजाबाद को विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन की संस्तुति प्रदान की गयी। यह भी प्रस्तावित किया गया कि प्रथमतः भवन का आवंटन दस वर्षो के लिए किया जाय तथा विश्वविद्यालय एवं बैंक की सहमति पर आगामी पॉच –2 वर्षो के लिए भवन दो बार आवंटित किया जायेगा ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव सं0 181:6 भारत मौसम विज्ञान विभाग , भारत सरकार द्वारा फसल अनुसंधान केन्द्र, बहराइच पर मौसम विज्ञान आब्जरवेटरी स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से भारत मौसम विज्ञान विभाग , भारत सरकार द्वारा फसल अनुसंधान केन्द्र, बहराइच पर मौसम विज्ञान आब्जरवेटरी स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया । प्रबन्ध परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि भारत मौसम विज्ञान एवं विश्वविद्यालय के मध्य डाटा हेतु एम0ओ0यू0 किया जाय तथा मौसम संबंधी डाटा को कृषि विभाग उ0प्र0 से भी साझा किया जाय ।

प्रस्ताव सं0181: 7 "Creation of Seed hub for increasing indigenous production of Pulse in India" परियोजना के अन्तर्गत चक्रीय निधि खाते के वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय व्यय के अनुमोदित किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त परियोजना के अन्तर्गत चक्रीय निधि खाते के वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय व्ययक पर संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार संस्तुति प्रदान की गयी ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति के अनुसार उक्त योजना का वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय व्ययक संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव स0 181:8 कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापक से प्राध्यापक पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष/कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षको को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के संबंध में वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में लगभग 10 वर्षो से उक्त लाभ नही प्रदान किया गया है। अतएव वर्तमान में उक्त लाभ प्रदान किया जाना है जिसके कम में कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित हुये शिक्षको /वैज्ञानिकों के परिणामों को प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी कि शिक्षको को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति किये जाने पर आने वाले वित्तीय व्यय भार की सूचना शासन को प्रेषित कर अतिरिक्त अनुदान की मॉग की जाए ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में अध्यक्ष/कुलपति महोदय द्वारा कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति किये जाने विषयक लिफाफे को खोलने के पूर्व प्रबन्ध परिषद के समक्ष कुछ बिन्दु प्रस्तुत किये ;जैसे ऐसे शिक्षक/वैज्ञानिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है व ऐसे जो साक्षात्कार हेतु आ सकने में असमर्थ है , जिस पर प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का सुझाव चाहा। इस प्रकरण पर नाननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों हेतु आई0सी0ए0आर0 से दिशा निर्देश प्राप्त कर लिये जाये तथा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार निर्णय लिया जाय। जिन अध्यापकों के विरूद्व कोई जॉच प्रकिया चल रही है या दण्डित है उनके लिफाफे जॉच प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात दोष मुक्त होने की स्थिति में खोले जायेगें। तदोपरान्त माननीय कुलपति/अध्यक्ष द्वारा अन्य लिफाफे खोलकर कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित हुये शिक्षकों/वैज्ञानिकों के परिणामों से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जिस पर माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपना अनुमोदन प्रदान किया। यह स्कीम उन्ही शिक्षकों को अनुमन्य होगी जिन शिक्षकों की नियुक्ति नियमित चयन प्रकिया द्वारा की गयी है। कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति किये गये शिक्षकों/ वैज्ञानिकों की सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

प्रस्ताव स0 181:9 पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के अन्तर्गत वेटनरी फार्मेसी एवं लाइबस्टाक एक्सटेंशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के बी0वी0एस0सी0 छात्रो को उक्त डिप्लोना कोर्स हेतु 20 प्रतिशत सीट आरक्षित की जाय जो किन्ही कारणों से अपनी पढाई जारी नही रख सकते तथा कोर्स पूर्ण करने में असमर्थ है ।

<u>अन्य निर्णय</u>

1– माननीय अध्यक्ष/कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुबिधा लागू किये जाने हेतु वित्त उप समिति के माननीय सदस्यों से चर्चा की जिस पर वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबधं में शासन में लागू शासनादेश को पूर्णरूप से जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) भी सम्मिलित है को लागू किया जाने हेतु कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उ0प्र0शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाय तथा अनुमति प्राप्त हाने के पश्चात उक्त शासनादेश को लागू कर दिया जाय तथा इस सम्बन्ध मे किये गये सेवानिवृत्त संबधी प्रकरणो से प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया जाए।

वित्त उपसमिति की उपरोक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(जीत सिंह सन्धू) 17|10|18
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।
पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–181वी बैठक/लेखा/2018/1020 दिनांक17–10–2018
प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

परिशिष्ट - 1

1. रिवाल्बिंग फण्ड खाता सख्या–36512844328 सीडहब
2. रिवाल्बिंग फण्ड संचालित किये जाने का उद्देश्यः बीज उत्पादन कार्यक्रम के द्वारा

वित्तीय वर्ष 2017–18 का वास्तविक आय एवं व्यय का विवरण एवं वर्ष 2018–19 का वास्तविक आय का विवरणः

क. सं.	आय काश्रोत	वास्तविक आय वर्ष 2017–18	अनुमानित आय 2018–19	मानक मदो का विवरण	आवंटित धनराशि 2017–18	वास्तविक व्यय 2017–18	अनुमान वर्ष 2018–19	अभ्युक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दलहन अनुसंधान सस्थान कल्यानपुर, कानपुर प्राप्ति शेष रू 40,00,000/	—	47,00,000	मजदूरी सामग्री एवं सम्पूर्ति	20,00,000 19,00,000	3400 2,43,090	19,96,600 16,56,910	
	प्रासंगिक शेष 01-04-18 को	37,53,510	47,00,000	यात्रा भत्ता	1,00,000	00	100000	
	योग :	37,53,510 (सैतिस लाख तिरपन हजार पांच सौ दस मात्र)	47,00,000 (सैतालिस लाख मात्र)		40,00,000 (रू.चालिस लाख) मात्र	2,46,490 (रू.दो लाख छियालिस हजार चार सौ नब्बे मात्र)	37,53,510 (रू. सैतिस लाख तिरपन हजार पांच सौ दस मात्र)	

परिशिष्ट–2

असेस्मेन्ट का विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	वैज्ञानिक का नाम	चयन समिति/प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन		अभ्युक्ति
			अनुमोदित	निरस्त	
1	आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन				
	प्राध्यापक	1. डा. पी0के0सिंह	अनुमोदित		
		2. डा. एम0पी0चौहान	अनुमोदित		
		3. डा. आर0डी0एस0यादव	अनुमोदित		
		4. डा. डी0के0 द्विवेदी	अनुमोदित		
		5. डा. ओ0पी0सिंह	अनुमोदित		
		6. डा. रनजीत सिंह	अनुमोदित		
		7. डा. कमलेश कुमार	अनुमोदित		
		8. डा. बी0एन0सिंह	अनुमोदित		
		9. डा. राधा विनोद सिंह	अनुमोदित		
		10. डा. एस0आर0 विश्वकर्मा	अनुमोदित		
		11. डा. कल्पना श्रीवास्तव	अनुमोदित		
		12. डा. एस0पी0एस0 राठी	अनुमोदित		
		13. डा. ओ0पी0 वर्मा	अनुमोदित		
		14. डा. आर0के0 श्रीवास्तव	अनुमोदित		
		15. डा. विजय बहादुर सिंह	–	निरस्त	
	सह प्राध्याक	1. डा. सुभाष चन्द्र विमल	अनुमोदित		
		2. डा. सौरभ दीक्षित	अनुमोदित		
		3. डा. सी0एन0 राम	अनुमोदित		
		4. डा. जी0सी0 यादव	अनुमोदित		
		5. डा.' शिवनाथ	अनुमोदित		
		6. डा. प्रेम कुमार	अनुमोदित		
		7. डा. करन सिंह	अनुमोदित		
		8. डा. एच0आर0 वर्मा	अनुमोदित		
		9. डा. ज्ञान दास कुशवाहा	अनुमोदित		

2	**उद्यान एवं वानिकी**				
	प्राध्यापक	1. डा. रत्नाकर द्विवेदी	अनुमोदित		
		2. डा. अनिल कुमार सक्सेना	अनुमोदित		
		3. डा. भगवान दीन	अनुमोदित		
		4. डा. अशोक कुमार	–	निरस्त	
		5. डा. अरूण कुमार सिंह	–	निरस्त	
		6. डा. डी0 राम	अनुमोदित		
		7. डा. संजय पाठक	अनुमोदित		
		8. डा. ओम प्रकाश राव	अनुमोदित		
		9. डा. वी0पी0 पाण्डेय	अनुमोदित		
	सह प्राध्यापक	1. डा. भानु प्रताप	अनुमोदित		
3	**फसल कार्यिकी**				
	सह प्राध्यापक	1. डा. अशोक कुमार सिंह	अनुमोदित	–	
		2. डा. राम कलप यादव	अनुमोदित	–	
		3. डा. राज बहादुर	अनुमोदित	–	
		4. डा. शम्भू प्रसाद	अनुमोदित	–	
		5. डा. गुलाब सिंह	–	निरस्त	
		6. डा0 हौसला प्रसाद	–	निरस्त	
4	**कृषि अर्थशास्त्र**				
	प्राध्यापक	1. डा. आर. ए. सिंह	अनुमोदित	–	
		2. डा. राम अकबाल सिंह	अनुमोदित	–	
		3. डा. जे0पी0 सिंह	अनुमोदित	–	
5	**सस्य विज्ञान**				
	प्राध्यापक	1. डा. गजेन्द्र सिंह	अनुमोदित	–	
		2. डा. जयदेव	अनुमोदित	–	

		3. डा. ओ0पी0 राय	–	निरस्त	
		4. डा. एम0वी0 सिह	अनुमोदित		
		5. डा. राम मूर्ति सिंह	–	निरस्त	
		6. डा. बी0एन0 मिश्रा	अनुमोदित		
6	**एग्रो मेटरोलाजी**				
	सह प्राध्यापक	1. डा. सीता राम मिश्रा	अनुमोदित	–	
7	**कृषि सांख्यिकी**				
	प्राध्यापक	1. डा. वी0एन0 राय	अनुमोदित	–	
		2. डा. के0के0 श्रीवास्तव	अनुमोदित	–	
		3. डा. एल0के0 दूबे	अनुमोदित	–	
8	**कीट विज्ञान**				
	प्राध्यापक	1. डा. आर0सी0 शर्मा	अनुमोदित	–	
		2. डा. आर0ए0 सिंह	अनुमोदित	–	
		3. डा. एस0एस0 प्रसाद	अनुमोदित	–	
		4. डा. एम0एन0 लाल	–	निरस्त	
		5. डा. अवनि कुमार सिंह	अनुमोदित		
9	**मृदा विज्ञान**				
	प्राध्यापक	1. डा. तेजेन्द्र कुमार	–	निरस्त	
		2. डा. एस0एफ0ए0 जैदी	अनुमोदित		
		3. डा. आलोक कुमार	अनुमोदित		
		4. डा. ए0के0एस0 परिहार	–	निरस्त	
		5. डा. पी0एन0 त्रिपाठी	–	निरस्त	
	सह प्राध्यापक	1. डा0 नीरज कुमार	अनुमोदित		
		2. डा. सुरेश कुमार	अनुमोदित		
10	**पादप रोग विज्ञान**				
	प्राध्यापक	1. डा. रवि प्रकाश सक्सेना	अनुमोदित		

		2. डा. राज बहादुर सिंह	अनुमोदित		
		3. डा. एस0पी0 पाठक	अनुमोदित		
		4. डा. सविता गुप्ता	अनुमोदित		
		5. डा. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	अनुमोदित		
		6. डा. डी0के0 चकवर्ती	अनुमोदित		
		7. डा. परोमिता मुखर्जी	अनुमोदित		
	सह प्राध्यापक	1. डा0 सुभाष चन्द्र	–	निरस्त	
		2. डा. सुशील कुमार सिंह	अनुमोदित		
		3. डा. विन्देश्वरी प्रसाद	–	निरस्त	
		4. डा. हेमन्त कुमार सिंह	अनुमोदित		
11	**कृषि जीव रसायन**				
	प्राध्यापक	1. डा. प्रतिभा सिंह	अनुमोदित		
		2. डा. रूद्र प्रताप सिंह	अनुमोदित		
		3. डा. एस0एस0 सिंह	–	निरस्त	
	सह प्राध्यापक	1. डा. नवाज अहमद खान	अनुमोदित		
		2. डा. राज नारायन केवट	अनुमोदित		
12	**कृषि अभियांत्रिकी**				
	प्राध्यापक	1. डा. हरिश्चन्द्र सिंह	अनुमोदित		
		2. डा. आर0के0 मेहता	अनुमोदित		
13	**कृषि प्रसार शिक्षा**				
	प्राध्यापक	1. डा. प्रकाश सिंह	अनुमोदित		
14	**गृह विज्ञान**				
	प्राध्यापक	1. डा. आभा सिंह.	–	निरस्त	
		2. डा. सुमन प्रसाद मौर्या	–	निरस्त	
	सह प्राध्यापक	1. डा. साधना सिंह	अनुमोदित		
15	**मत्स्य विज्ञान**	1. डा. नागेन्द्र प्रसाद तिवारी	–	निरस्त	

परिशिष्ट–2

असेस्मेन्ट का विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	वैज्ञानिक का नाम	चयन समिति/प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन		अभ्युक्ति
			अनुमोदित	निरस्त	
1	कृषि विज्ञान केन्द्र /प्रसार वैज्ञानिक				
	प्राध्यापक				
	कृषि अर्थशास्त्र	1. डा. जी0पी0 सिंह	अनुमोदित		
	पशु विज्ञान	1. डा. एस0एन0 लाल	अनुमोदित		
		2. डा. आई0जे0 सिंह	–	निरस्त	
	मत्स्य विज्ञान	1. डा. जी0डी0 निगम	अनुमोदित		
	कीट विज्ञान	1. डा. अशरफ हुसैन	अनुमोदित		
		2. डा. एस0एन0सिंह	अनुमोदित		
		3. डा. कुमुद सिंह	–	निरस्त	
	उद्यान	1. डा. वी0एस0 चन्देल	–	निरस्त	
		2. डा. पी0एन0 सिंह	–	निरस्त	
		3. डा. जे0पी0 यादव	अनुमोदित		
		4. डा. एन0 पी0 सिंह	–	निरस्त	
		5. डा. आई0 जे0 सिंह	अनुमोदित		
	कृषि अभियांत्रिकी	1. डा. कौशल कुमार	अनुमोदित		
	मृदा विज्ञान	1. डा. वेद प्रकाश	अनुमोदित		
		2. डा. राम रतन सिंह	अनुमोदित		
		3. डा. वी0बी0 सिंह	–	निरस्त	
		4. डा. महेश पाल सिंह	अनुमोदित		
	सस्य विज्ञान	1. डा. रमेश सिंह	अनुमोदित		
		2. डा. आर0ए0 सिंह	अनुमोदित		
		3. डा. त्रिभुवन सिंह	अनुमोदित		
	पशु चिकित्सा प्रसार शिक्षा	1. डा. राकेश कुमार सिंह	–	निरस्त	
		2. डा0 सुबोध कुमार	अनुमोदित		

2	कृषि विज्ञान केन्द्र /प्रसार वैज्ञानिक				
	प्राध्यापक				
	पशु विज्ञान	1. डा. आर0पी0एस0रघुवंशी	अनुमोदित		
		2. डा. शुद्धू राम	–	निरस्त	
	प्लान्ट प्रोटेक्शन/इन्टोमोलाजी	1. डा. रमेश प्रताप सिंह		निरस्त	
		2. डा. रवि प्रकाश मौर्य	अनुमोदित		
	प्रसार शिक्षा	1. डा. एस0एन0 सिंह	अनुमोदित		
	कृषि अभियांत्रिकी	1. डा. अमिताभ कर	अनुमोदित		
	सह प्राध्यापक				
	पशु विज्ञान	1. डा. अनिल कुमार	अनुमोदित		
		2. डा. रसूल मोहम्मद	अनुमोदित		
		3. डा. डी0पी0 सिंह	अनुमोदित		
		4. डा. नरेन्द्र रघुवंशी	–	निरस्त	
		5. डा. सतीश कुमार सिंह	–	निरस्त	
		6. डा. लाल चन्द्र वर्मा	अनुमोदित		
		7. डा. धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अनुमोदित		
	प्लान्ट प्रोटेक्शन/इन्टोमोलाजी	1. डा. रूद्र प्रताप सिंह	अनुमोदित		
		2. डा. नवीन कुमार सिंह	–	निरस्त	
		3. डा. आनन्द कुमार	अनुमोदित		
	प्रसार शिक्षा	1. डा. महेश पाल	अनुमोदित		
	कृषि अभियांत्रिकी	1. इ. राजमणि मौर्या	–	निरस्त	
		2. इ. अशोक कुमार पाण्डेय	अनुमोदित		
		3. इ. विनोद कुमार सिंह	–	निरस्त	
		4. इ. रामजीत सिंह	अनुमोदित		

3	**कृषि विज्ञान केन्द्र /प्रसार वैज्ञानिक**				
	सह प्राध्यापक				
	सस्य विज्ञान	1. डा. सौरभ वर्मा	अनुमोदित		
	गृह विज्ञान	1. डा. रश्मी सिंह	अनुमोदित		
	उद्यान	1. डा. अश्वनी कुमार सिंह	अनुमोदित		
	कृषि अर्थशास्त्र	1. डा. अजीत वर्मा	–	निरस्त	
4	**पशु चिकित्सा एवं पशु पालन**				
		प्राध्यापक			
	Clinical/Para-Clinical	1. डा. सुशान्त श्रीवास्तव	अनुमोदित		
		2. डा. अनिल कुमार गंगवार	अनुमोदित		
		3. डा. चन्द्रशेखर	अनुमोदित		
		4. डा. डी0नियोगी	अनुमोदित		
		5. डा. रचना वर्मा	अनुमोदित		
	Animal Science	1. डा. विजय कुमार सिंह	अनुमोदित		
		सह प्राध्यापक			
	Clinical/Para-Clinical	1. डा. भूपेन्द्र सिंह	–	निरस्त	
		2. डा. अमित सिंह	अनुमोदित		
	Animal Science	1. डा. जशवन्त सिंह	अनुमोदित		
		2. डा. सत्येन्द्र कुमार मौर्या	–	निरस्त	
		3. डा. सुरेश प्रताप सिंह	अनुमोदित		

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 182 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 27–11–2018

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 2.30बजे ।

उपस्थिति :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री राधेश्याम , अनुसचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
3– श्री नीरज श्रीवास्तव , अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अयोध्या मण्डल,अयोध्या नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
4– श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,उप सचिव उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
5– डा0एन0पी0 मल्ल वरिष्ठ शोध अधिकारी प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ0प्र0	– सदस्य
6– डा0 सी0एस0यादव , निदेशक पशुपालन प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ0प्र0	– सदस्य
7–डा0ए0डी0पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0	– सदस्य
8–डा0 उमाशंकर सिंह, कृषि वैज्ञानिक	– सदस्य
9– श्री छेदी सिंह , प्रगतिशील कृषक	– सदस्य
10– श्री शिवजीत यादव पशु प्रजनक ,	– सदस्य
11– श्रीमती सुचिता तिवारी, प्राख्यात उद्योगपति	– सदस्या
12– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा नवागत माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद डा0उमा शंकर सिंह, कृषि वैज्ञानिक को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया तथा प्रबन्ध परिषद के सभी माननीय सदस्यों से श्री सिंह का परिचय कराया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 182:1 **प्रबन्ध परिषद की गत 181वीं बैठक दिनांक 16–10–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

प्रबन्ध परिषद की गत 181वीं बैठक दिनांक 16–10–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0182: 2 **प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।**

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए । कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुये कुछ बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये :–

<u>प्रबन्ध परिषद की 181वीं बैठक दिनांक 16–10–2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव</u>

प्रस्ताव सं0179:4 **विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने के संबधं में विचार एवं निर्णय।**

प्रबन्ध परिषद को पेरोल साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराने संबंधी कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया ।

प्रस्ताव सं0179:11 **विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पद पर प्राध्यापक/ सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करनें के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।**

प्रस्ताव सं0 179:12 **विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

प्रस्ताव सं0 179:13 **पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 12 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव सं0 179:15 **विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।**

प्रस्ताव स0 179:22 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी महाविद्यालय के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक(एक पद) एव सह प्राध्यापक (एक पद) के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

उक्त प्रस्तावों पर वित्त उपसमिति की बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नियुक्ति के संबंध में शासन से दिशानिर्देश प्राप्त हाने के उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । जिस पर

प्रबन्ध परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में चल रहे शिक्षण एवं शोध कार्य प्रभावित न हो , के दृष्टिगत शिक्षकों के कुल रिक्त पदो के 50 प्रतिशत की सीमा तक पदों को भरे जाने की अनुमति हेतु शासन सें अनुरोध किया जाय ।

प्रस्ताव सं0179:18 **विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।**

वित्त उपसमिति की बैठक के दौरान सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह संस्तुति प्रदान की गयी कि विश्वविद्यालय कर्मियों के जी0पी0एफ0 कटौती की पूर्ण धनराशि समय से कोषागार में जमा करनें हेतू शासन से वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट के वेतनमद में अतिरिक्त अनुदान अथवा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में पुर्नविनियोग के रूप में अतिरिक्त अनुदान की मॉग की जाय जिससे कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों के जी0पी0एफ0कटौती की धनराशि समयान्तर्गत कोषागार में जमा की जा सके ।

उक्त से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुये एवं शासन से वेतनमद में अतिरिक्त अनुदान की मॉग किये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव सं0 179:20 **विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही से अवगत होते हुए प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रकरण के संबधं में यथाशीध्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

प्रस्ताव सं0180: 3

विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को परिचर, चौकीदार , कुक एवं स्वीपर के नाम से एकीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

उक्त प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी । प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि पदों को एकीकृत किये जाने हेतु समिति का गठन कर दिया गया है तथा यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण करके उचित प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में पुनः विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

प्रस्ताव सं0181:3

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद गाजीपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र गाजीपुर में नियुक्ति की कार्यवाही प्रकियान्तर्गत है ।

प्रस्ताव सं0 181:6

भारत मौसम विज्ञान विभाग , भारत सरकार द्वारा फसल अनुसंधान केन्द्र, बहराइच पर मौसम विज्ञान आब्जरवेटरी स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मध्य एम0ओ0यू0 हो गया है तथा अन्य कार्यवाही प्रकियान्तर्गत है ।

प्रस्ताव स0 181:9

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के अन्तर्गत वेटनरी फार्मेसी एवं लाइवस्टाक एक्सटेंशन में डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किये जाने की अनुमति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है । शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

प्रबन्ध परिषद की 182 वी बैठक दिनांक 27–11–2018 के संबंध में विचार एवं निर्णय

प्रस्ताव सं0 182:3 मान0 प्रबन्ध परिषद की 171वीं बैठक दिनांक 03–03–2016 के मद सं0 171:1 द्वारा अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) का पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 30000/'–(रू0 तीस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 35000/'–(रू0 पैतीस हजार) मात्र किया गया था,, उक्त के स्थान पर पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 40000/'–(रू0 चालीस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 50000/'–(रू0 पच्चास हजार) मात्र किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय ।

उक्त प्रस्ताव पर सम्ययक विचारोपरान्त वित्तउपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न संस्तुतियॉ प्रदान की गयी :–

1– अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) का पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 30000/'–के स्थान पर रू0 40000/'–(रू0 चालीस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 35000/'–के स्थान पर रू0 50000/'(रू0 पच्चास हजार) मात्र पुनरीक्षित पारिश्रमिक दर पर किये जाने की संस्तुति की गयी ।

2– शासनादेशानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों को अतिथि शिक्षक (गेस्ट फैकल्टी) के रूप में नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी ।

3– उक्त पारिश्रमिक का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने श्रोतो से वहन किये जाने की भी संस्तुति प्रदान की गयी ।

4– यह भी संस्तुति की गयी कि पारिश्रमिक की पुनरीक्षित दरे वर्ष 2018–19 के द्वितीय सेमेस्टर से प्रभावी मानी जाए ।

वित्त उपसमिति की बैठक के अन्य निर्णय में अतिथि शिक्षक (गेस्ट फैकल्टी) को शासनादेशानुसार प्रत्येक सेमेस्टर में 05 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 07 दिवस का चिकित्सा अवकाश दिये जाने सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उपरोक्त संस्तुति पर प्रबन्ध परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त गुणवत्तायुक्त अतिथि शिक्षक(गेस्ट फैकल्टी) की उपलब्धता हेतु सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

1– अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) का पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 30000/'–के स्थान पर रू0 45000/'–(रू0 पैतालिस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 35000/'–के स्थान पर रू0 55000/'(रू0 पचपन हजार) मात्र पुनरीक्षित पारिश्रमिक दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया ।

2– शासनादेशानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों को अतिथि शिक्षक (गेस्ट फैकल्टी) के रूप में नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

3– उक्त पारिश्रमिक का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने श्रोतो से वहन किये जाने का भी निर्णय लिया गया ।

4– यह भी निर्णय लिया गया कि पारिश्रमिक की पुनरीक्षित दरे वर्ष 2018–19 के द्वितीय सेमेस्टर से प्रभावी मानी जाए ।

5– अतिथि शिक्षक (गेस्ट फैकल्टी) को शासनादेशानुसार प्रत्येक सेनेस्टर में 05 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 07 दिवस का चिकित्सा अवकाश दिये जाने को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव स0 182:4 **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदनाम को वर्तमान पदनाम के अनुसार संशोधित करने विष्ज्ञयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उप सचिव (कृषि प्रसार) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , कृषि अनुसंधान भवन पूसा नई दिल्ली के पत्र स0 A-Extn-7/22/2017-AE-II dated 23rd August 2018 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र गाजीपुर के लिए अनुमोदित मानवशक्ति में इंगित पदनाम के अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदनाम को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी :–

Present Designation of post	Revised Designation of Post	NO.of post		
		Pay Band	Pay Scales	Grade
Programme Co-ordinator	Senior Scientist and Head	01	37400-67000	GP-9000
Computer Programmer	Programme Assistant (Computer) T-4	01	9300-34800	GP-4200
Programme Assistant	Programme Assistant (Computer) T-4 (Lab Technician)	01	9300-34800	GP-4200
Office Superintendant cum Accountant	Assistant-ICAR	01	9300-34800	GP-4200
Driver Cum Mechanic	Driver	02	5200-20200	GP-2000
Support Staff	Skilled Support Staff	02	5200-20200	GP-1800

वित्त उपसमिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी कि पूर्व में Office Superintendant cum Accountant के पदनाम से नियुक्त कार्मिको के पदनाम कों Office Superintendant cum Accountant (Assistant- ICAR) के रूप में संशोधित किया जाय ।

उपरोक्तानुसार किये गये संशोधित पदनामो की प्रविष्टि तदानुसार सेवापुस्तिका में की जाय ।

वित्त उपसमिति की उपरोक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया । प्रबन्ध परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में की जाने वाली नियुक्ति भारतीय कृषिं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत पदनामों पर ही की जाये ।

प्रस्ताव स0 182:5 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय ,कुमारगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत मुख्य परिसर कुमारगंज, में कालेज आफ एग्री–बिजनेस मैनेजमेन्ट में पाठयकम संचालित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा मुख्य परिसर कुमारगंज, में कालेज आफ एग्री–बिजनेस मैनेजमेन्ट में पाठयकम संचालित करने संबंधी प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय लिया गया :–

1– कालेज आफ एग्री–बिजनेस मैनेजमेन्ट में पाठयकम संचालित करने हेतु शासन से वन टाइम ग्रान्ट के रूप में रू0 5.00 करोड की धनराशि की मॉग की जाय जिससे उपरोक्त पाठयकम का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया जा सके ।

2– जब तक शासन से मॉग की गयी धनराशि प्राप्त नही होती है तब तक विश्वविद्यालय में संचालित होने जा रहे वेटनरी फार्मेसी एवं लाइबस्टाक एक्सटेंशन में डिप्लोमा कोर्स को कालेज आफ एग्री–बिजनेस मैनेजमेन्ट की बिल्डिंग में प्रारम्भ किया जाए ।

प्रस्ताव स0 182:6 कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत एस0एम0एस0/सहायक प्राध्यापक से एस0एम0 एस0 /सह प्राध्यापक एवं एस0एम0एस0/सह प्राध्यापक से एस0एम0एस0/ प्राध्यापक पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

माननीय कुलपति /अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षको /वैज्ञानिको को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत एस0एम0एस0/सहायक प्राध्यापक से एस0एम0 एस0/सह प्राध्यापक एवं एस0एम0एस0/सह प्राध्यापक से एस0एम0एस0/ प्राध्यापक पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में साक्षात्कार सम्पन्न हुआ था जिसका परिणाम प्रबन्ध परिषद की 181वीं बैठक दिनांक 16–10–2018 में अनुमोदित किया गया था ।

उक्त साक्षात्कार में कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत 31 एस0एम0एस0/सहायक प्राध्यापको/सह प्राध्यापकों का बायोडाटा अपूर्ण होने के कारण उनका साक्षात्कार नही हो सका था । उन सभी से पुनः बायोडाटा प्राप्त कर कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम का लाभ दिये जाने हेतु साक्षात्कार की प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है तथा जिसके परिणामों का अनुमोदन प्रबन्ध परिषद द्वारा किया जाना है । प्रबन्ध परिषद की 181वीं बैठक दिनांक 16—10—18 में लिये गये निर्णय के कम में जिन एस0एम0एस0/सहायक प्राध्यापको , एस0एम0 एस0 /सह प्राध्यापको के विरूद्व कोई जॉच प्रकिया चल रही है या दण्डित है उनके लिफाफे जॉच प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात दोषमुक्त होने की स्थिति में खोले जायेगे ।

तदोपरान्त माननीय कुलपति/अध्यक्ष द्वारा लिफाफे खोलकर कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित हुये शिक्षकों/वैज्ञानिकों के परिणामों से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जिस पर माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपना अनुमोदन प्रदान किया। कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति किये गये एस0एम0एस0/सहायक प्राध्यापको/सह प्राध्यापकों की सूची परिशिष्ट—1 पर संलग्न है।

प्रस्ताव स0 182:7 **वृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित Establishment of Model Seed Testing Laboratory" परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित Establishment of Model Seed Testing Laboratory" परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसन्मति से अनुमोदित किया गया ।

<u>अन्य निर्णयः—</u>

1— सचिव प्रबन्ध परिषद द्वारा माननीय अध्यक्ष/कुलपति महोदय की अनुमति से प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के समक्ष शासन द्वारा जिला फैजाबाद का नाम जिला अयोध्या किये जाने संबंधी अधिसूचना के कम में विश्वविद्यालय के नाम में भी यथोचित संशोधन किये जाने का मौखिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

2— प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि डा0 कुमुद सिंह, सह प्राध्यापक का च्यन प्राध्यापक पद पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ,कनके, रॉची(झारखण्ड) में हो गया है जिसके फलस्वरूप डा0 सिंह को कार्यमुक्त किया जाना है । डा0 सिंह के बार–2 मौखिक अनुरोध पर व उनके परिवार जोकि रॉची में रहता है को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से डा0 कुमुद सिंह, सह प्राध्यापक को 06 माह के धरण धारण पर कार्यमुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत उक्त धरण–धारण की अवधि को 06 माह से आगे न बढाया जाय तथा यदि कोई शिक्षक निर्धारित 06 माह की अवधि के उपरान्त विश्वविद्यालय में वापस नही आता है तो उसकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी ।

3— प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को प्रबन्ध परिषद की बैठक में भाग लेने हेतु रू0 2000/– मानदेय दिये जाने का निर्णय प्रबन्ध परिषद की 159वीं दिनांक 24–07–2013 में लिया गया था जिसको रू0 2000/– से रू0 3000/– पुनरीक्षित किये जाने पर प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा विस्तुत चर्चा की गयी तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अनुरूप ही विश्वविद्यालय के विशिष्ट अतिथियों को भी रू0 3000/– (रू0 तीन हजार मात्र) का मानदेय का भुगतान प्रदान किया जाय ।

4— प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया गया कि पूर्वी उ0प्र0 में गन्ने की खेती बहुतायत क्षेत्रफल में की जाती है अतएव गन्ने पर शोध हेतु महानिदेशक, कृषि अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली के सहयोग से एक रीजनल सेन्टर की स्थापना विश्वविद्यालय में की जाय जिससे कि पूर्वी उ0प्र0 के किसान लाभान्वित हो सके ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(जीत सिंह सन्धू) 27/XI/18
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–182वी बैठक/लेखा/2018/ 1225 दिनांक 27–11–2018

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

परिशिष्ट–1

असेस्मेन्ट का विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	वैज्ञानिक का नाम	चयन समिति/प्रबन्ध परिषद का अनुमोदन		अभ्युक्ति
			अनुमोदित	निरस्त	
1	कृषि विज्ञान केन्द्र /प्रसार वैज्ञानिक				
	एस0एम0एस0/सह प्राध्यापक				
	सस्य विज्ञान	1. डा0 अशोक कुमार सिंह	अनुमोदित		
		2. डा0 सियाराम	अनुमोदित		
		3. डा0 राकेश कुमार सिंह	अनुमोदित		
		4. डा0 शैलेन्द्र सिंह	अनुमोदित		
		5. डा0 जे0पी0सिंह	अनुमोदित		
		6. डा0 राम लखन सिंह	अनुमोदित		
	गृह विज्ञान	1. डा0 कंचन	–	निरस्त	
		2. डा0 रेनू सिंह	अनुमोदित		
		3. डा0 प्रेम लता श्रीवास्तव	अनुमोदित		
	प्लान्ट प्रोटेक्शन/इन्टोमोलाजी	1. डा0 संदीप कुमार	अनुमोदित		
		2. डा0 प्रमोद कुमार सिंह	–	निरस्त	
		3. डा0 संजय कुमार सिंह राजपूत	–	निरस्त	
		4. डा0 प्रदीप कुमार	–	निरस्त	
		5. डा0 वीरेन्द्र प्रसाद चौधरी	–	निरस्त	

	पशु विज्ञान	1. डा0 देश दीपक सिंह	अनुमोदित		
		2. डा0 विनय कुमार सिंह	अनुमोदित		
		3. डा0 विजय चन्द्रा	अनुमोदित		
		4. डा0 अमरेश कुमार सिंह	–	निरस्त	
		5. डा0 विद्यासागर	अनुमोदित		
		6. डा0 सुरेन्द्र सिंह	अनुमोदित		
	मृदा विज्ञान	1. डा0 रणधीर नायक	अनुमोदित		
	फसल कार्यिकी	1. डा0 समीर कुमार पाण्डेय	अनुमोदित		
		2. डा0 एम0पी0 सिंह	अनुमोदित		
	उद्यान/कृषि वानिकी	1. डा0 .सत्य प्रकाश सिंह	अनुमोदित		
		2. डा0 विनय कुमार	अनुमोदित		
		3. डा0 रतन कुमार आनन्द	अनुमोदित		
		4. डा0 प्रदीप कुमार मिश्र	अनुमोदित		
		5. डा0 विनय कुमार सिंह	–	निरस्त	
	एस0एम0एस0/प्राध्यापक				
	प्रसार शिक्षा	1. डा0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह	–	निरस्त	